



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके /आरटीई/2012/1057
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28.1.12

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय:—शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की मॉनिटरिंग के संबंध में।

संदर्भ:—राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली का D.O. No. 25-01/2010/RTE-
NCP/744 दिनांक 28.12.2011 ।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसकी प्रति संलग्न है। पत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की म.प्र. में मॉनिटरिंग के संबंध में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा सुश्री आशा मिश्रा एवं सुश्री अर्चना सहाय को अधिकृत किया गया है।

कृपया जिले में मॉनिटरिंग के दौरान संबंधितों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु बसाहट, पंचायत, विकासखण्ड तथा जिला स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल, दिनांक 28.1.12

पू.क्रमांक/राशिके /आरटीई/2012/1058
प्रतिलिपि:—

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
2. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय बल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, जनपथ, नई दिल्ली
—110001 की ओर उनके संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र



LOV VERMA, IAS
Member Secretary

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

जनपथ, नई दिल्ली-110 001

JANPATH, NEW DELHI - 110 001

D.O. No 25-01/2010/RTE-NCPCR | 830

Dated: December 28th, 2011

Sub: Appointment of State Representative by NCPCR

Dear Sir,

As you are aware the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has been mandated under Section 31 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 to monitor the provisions for children under this Act. In order to fulfill its obligations under this mandated the Commission has decided to appoint the person listed below as State Representative for NCPCR in the State of Madhya Pradesh

1. Ms. Asha Mishra
2. Ms. ArchanaSahay

These persons will assist the Commission in monitoring the RTE Act in the State. They may be given full cooperation at all levels—State, District, Block, Panchayat and habitation in order to carry out their tasks unhindered.

With regards,

Yours sincerely,

(Lov Verma)

Shri Avani Vaish,
Chief Secretary
Government of Madhya Pradesh
Mantralaya, VallabhBhawan,
Bhopal-462004
Madhya Pradesh

13 JAN 2012
AMD (SS)

2/8
13/1

Coord (RTE)

6.Ed.2011
239
Date 13/1/12
Deep.

2 JAN 2012
CRSK

118/A/Comd/12
16-1-2012
M

70/AMDSS
16/1/12